भारतीय विधि रिपोर्ट

सिविल मिसेलेनियस

समक्ष टेक चंद, न्यायमूर्ति

मांगो राम और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता

1967 का सिविल रिट नंबर 2008

9 नवंबर, 1967

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (1961 का 23)-धारा 36-राज्य सरकार की आपातकालीन शक्तियों का विश्लेषण-कब प्रयोग किया जा सकता है-धारा 35 और 36 के प्रावधान-चाहे प्रतिस्थापन हो।

माना जाता है कि पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 36 का विश्लेषण यह है कि इसका शीर्षक "आपातकालीन शक्तियां" है, जिसका अर्थ है कि प्रावधानों को एक सामान्य मामले में नहीं बल्कि केवल एक आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाना है। आपातकाल का मामला तब होता है जब अचानक या अप्रत्याशित घटना, एक अप्रत्याशित घटना या स्थिति होती है। 'आपातकाल' शब्द आसानी से एक सटीक परिभाषा को स्वीकार नहीं करता है जो गणनात्मक हो सकती है। "आपातकालीन" शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब तत्काल कार्रवाई के लिए परिस्थितियों का एक अप्रत्याशित संयोजन होता है। धारा 36 की एक अन्य विशेषता यह है कि यह समिति के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी कदाचार या कानूनी या शून्य कार्य को संदर्भित नहीं करती है। यह खंड केवल उत्पन्न हुई 'स्थिति' को संदर्भित करता है। समिति के सदस्यों के अनुचित आचरण के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसके लिए समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी से भारित नहीं किया जा सकता है। 'स्थिति' शब्द किसी दिए गए क्षण में सापेक्ष स्थिति या परिस्थितियों के संयोजन को दर्शाता है। इस शब्द का उपयोग आलोचनात्मक, कोशिश करने या असामान्य स्थिति के अर्थ में भी किया जाता है। इस शब्द का उपयोग परिस्थितियों के संयोजन या संयोजन के अर्थ में भी किया जाता है। यदि कोई गतिरोध या गतिरोध है तो समिति काम नहीं कर सकती है। यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब समिति के सदस्य काम करने से इनकार करते हैं या काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, चाहे वे अपनी इच्छा के परिणामस्वरूप हों या अपनी इच्छा के बावजूद, जैसे कि वे सभी एक दुर्घटना में शामिल हों। ऐसे मामले में, यह कहा जा सकता है कि अनुभाग के विचार के भीतर स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी जहां सभी सदस्यों को इस्तीफा देना होगा, इस प्रकार समिति का कार्यकरण

असंभव हो जाएगा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो जाएगा। खंड के साथ बहुवचन में "उद्देश्य" शब्द का उपयोग महत्व के बिना नहीं है और यदि किसी एक उद्देश्य को अस्थायी रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है तो आपातकाल उत्पन्न होने के बारे में नहीं कहा जा सकता है। जब तक एक बाजार समिति कार्य कर रही है, तब तक धारा 36 के प्रावधानों को इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है कि यह सही ढंग से नहीं, बल्कि गलत तरीके से कार्य कर रही है। इसलिए राज्य सरकार को इस धारा के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करना होगा। (पैरा 16 और 17).

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि राज्य सरकार का इरादा समिति का स्थान लेना है तो अधिनियम की धारा 35 की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और उस उपबंध के अधीन कार्रवाई करनी होगी। समितियों के अधिक्रमण के मामलों में, धारा 35 के प्रावधान संपूर्ण हैं। अधिनियम के निर्माताओं द्वारा समितियों के अधिक्रमण के लिए किसी अन्य विचार पर विचार नहीं किया गया है। धारा 35 और 36 के प्रावधान प्रतिस्थापन नहीं हैं।(पैरा 19)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें अनुरोध किया गया है कि 14 सितंबर, 1967 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश का एक रिट जारी किया जाए।

याचिकाकर्ताओं के लिए एच. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज बहेल और भाल सिंह मलिक, अधिवक्ता।

सी डी डी इवान, डिप्टी एडवोकेट-जनरल, हरियाणा, उत्तरदाता 1 और 2 के लिए एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) के लिए, आर एस मित्तल, एडवोकेट, उत्तरदाता 4 से 25 के लिए और के एन रायना, एडवोकेट, राजेंद्र सच्चर, एडवोकेट के लिए, अब तक उत्तरदाता संख्या 3।

आदेश

टेक चंद, न्यायमूर्ति:-

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन एक याचिका है जिसमें श्री मांगे राम और 8 अन्य ने हरियाणा राज्य द्वारा पारित 14 सितंबर, 1967 की अधिसूचना (अनुलग्नक 'घ') को रद्द करते हुए एक उपयुक्त रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के उद्देश्यों को उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाजार समिति, गन्नौर, जिला रोहतक द्वारा पूरा नहीं किया जा सका था और इसलिए, अधिनियम की धारा 36 के तहत, राज्यपाल को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हुई कि बाजार समिति के कार्यों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारी (सिविल) सोनेट द्वारा किया जाएगा। इस रिट याचिका को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियां यह हैं कि मार्केट कमेटी, गन्नौर की स्थापना और गठन पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) की धारा 11 और 12 के तहत किया गया था और याचिकाकर्ता इसके विधिवत नियुक्त सदस्य थे। पहला याचिकाकर्ता इसका अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष था। यह अधिसूचना, दिनांक 30 सितंबर, 1966 (अनुलग्नक 'ए') के अनुसार थी। समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का है और यह 30 सितंबर, 1968 को समाप्त होने वाला है। याचिकाकर्ताओं का दावा है

कि समिति के सदस्यों के रूप में वे कानून द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और कुशलता से पालन कर रहे थे। इसके बाद वे दोनों राज्यों के गठन के बाद हरियाणा राज्य में कुछ पार्टी गुटों का उल्लेख करते हैं। इस मामले के निर्णयों के प्रयोजनों के लिए, आरोप और दोषारोपण वाली याचिका के भागों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। 7 जून, 1967 को, गन्नौर सहकारी विपणन समिति के प्रबंधक ने इस शिकायत के साथ पहले याचिकाकर्ता से संपर्क किया कि कुछ खाद्यान्न लाइसेंसधारी उस दिन व्यवसाय को निलंबित करने के लिए दूसरों को उकसा रहे थे। आवश्यक जांच के बाद, समिति द्वारा ऐसे दो लाइसेंसधारियों को व्यापार के हितों और बाजार के उचित कामकाज के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त पाया गया और वे लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। अतः समिति ने अनुलग्नक 'ख' और 'ग' के माध्यम से क्रमशः 28 जून, 1967 और 11 जुलाई, 1967 को इन दोनों संस्थाओं के लाइसेंस 14 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिए। सोनीपत के प्रत्यर्थी नंबर 3, श्री राजिंदर सिंह, एम. एल. ए. ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सरकार को झूठी शिकायतें दीं और सरकार को अधिनियम की धारा 36 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए प्रभावित किया, जिससे बाजार समिति के कार्यों को समाप्त कर दिया गया। अधिसूचना को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि यह अवैध, मनमाना, अधिकार क्षेत्र के बिना और असंवैधानिक है। यह भी आरोप लगाया गया था कि विवादित आदेश राजनीतिक दबाव में पारित किया गया था और दुर्भावनापूर्ण था और धारा 36 के तहत शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था और याचिकाकर्ताओं को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था। इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा दुर्भावना और अधिकार क्षेत्र के अभाव के आरोपों से इनकार करते हुए लिखित बयान दायर किए गए हैं। यह कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया गया था और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनकी उपस्थिति में कृषि उप मंत्री द्वारा जांच की गई थी और उन्हें अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का पूरा अवसर दिया गया था। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसमें अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका था। धारा 36क अन्तर्गत कयल गेल कार्रवाईक कारण देब आवश्यक नहि छल। इसके अलावा, धारा 36 के तहत की गई कार्रवाई प्रशासनिक प्रकृति की थी। उपमंत्री की रिपोर्ट में आधार और औचित्य बताए गए थे।

यह आगे आरोप लगाया गया थाः-"पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, जिसके द्वारा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को संयुक्त रखा गया था और जिसके विभाजन द्वारा हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार का रुख किया था, के कारण धारा 36 के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता पैदा हुई। धारा 35 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि उस मामले में समिति की संपत्ति राज्य कृषि विपणन बोर्ड में निहित होती, जिससे बोर्ड के विभाजन में और जटिलताएं पैदा होतीं। इसे जल्द ही विभाजित किए जाने की उम्मीद है।

सभी उत्तरदाताओं के लिखित बयान समान रूप से लिखे गए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि रिट याचिका दायर किए जाने के बाद 22 व्यक्तियों ने इस न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन किया था और इस आवेदन को अनुमति दी गई थी। इन उत्तरदाताओं ने एक लिखित बयान भी दायर किया है जो उत्तरदाता 1 और 2 द्वारा दायर किए गए बयान के समान है और उत्तरदाताओं द्वारा दायर दो अनुलग्नकों का संदर्भ दिया जा सकता है। बाद में जोड़े गए उत्तरदाताओं ने अनुलग्नक आर-1 दायर किया, जो मुख्यमंत्री को संबोधित एक अभ्यावेदन है जो याचिकाकर्ता नंबर 1, अध्यक्ष के आचरण के खिलाफ शिकायत करता है। यह आरोप लगाया गया था कि गन्नौर बाजार समिति

के दो प्रमुख लाइसेंसधारियों का लाइसेंस तुच्छ आधार पर निलंबित कर दिया गया था और उनका मामला अब सरकार और बोर्ड के पास लंबित है। नतीजतन, सभी लाइसेंसधारी परेशान थे। यह भी कहा गया था कि नीलामीकर्ता श्री मंगई सैन को इस आधार पर निलंबित कर दिया गया था कि वह अनुपस्थित रहे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में प्रार्थना की कि बाजार समिति कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है और अपनी शक्तियों का भी दुरुपयोग करती है और उसे हटा दिया जाना चाहिए और कुछ अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए और चुनाव का आदेश दिया जा सकता है।

(2) ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने उपमंत्री द्वारा जाँच करने का आदेश दिया, जिन्होंने 1 सितंबर, 1967 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को अनुबंध आर-एल के रूप में भी चिह्नित किया गया है। चार आरोपों के आधार पर जांच की गई, जिनमें से एक को अप्रमाणित पाया गया। उप मंत्री ने पहले आरोप पर बताया कि अध्यक्ष के पास दो लाइसेंसधारियों को निलंबित करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि वे कभी हड़ताल पर नहीं गए थे। उनका निलंबन बाजार समिति द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और उनकी मनमानी का एक उदाहरण था। उन्होंने उप मंत्री ने सिफारिश की कि यह अधिनियम की धारा 36 के तहत बाजार समिति के अधिक्रमण के लिए एक उपयुक्त मामला था। दूसरा आरोप नीलामीकर्ता श्री मंगई सैन की सेवाओं के निलंबन से संबंधित था। उपमंत्री ने यह विचार व्यक्त किया कि यह निलंबन पूरी तरह से अनुचित था। तीसरे आरोप के बारे में, जो एक नफे सिंह की पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति से संबंधित है, उप मंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति अनियमित थी और बाजार समिति की ओर से पक्षपात का एक उदाहरण था। उपरोक्त तीन आरोपों के आधार पर उनका निष्कर्ष यह था कि बाजार समिति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और वह अक्षम थी और ठीक से काम करने में अक्षम थी। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त कीः -

"इसलिए, मैं पंजाब बाजार समिति अधिनियम, 1961 की धारा 36 के तहत इसके अधिक्रमण की सिफारिश करूंगा, सी. एम. कृपया इसे मंजूरी दे सकता है।"

(3) इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, अधिसूचना (अनुलग्नक 'डी') 14 सितंबर, 1967 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। नौ याचिकाकर्ताओं, अध्यक्ष और समिति के सदस्यों ने अधिसूचना के परिणामस्वरूप खुद को व्यथित पाते हुए यह रिट याचिका दायर की है।

(4) इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने धारा 36 के तहत कार्रवाई करते हुए कानून के अनुसार और अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसा किया, न कि किसी अनुचित या गुप्त उद्देश्य के परिणामस्वरूप। यह निर्धारित करने से पहले कि क्या धारा 36 के तहत शक्तियों का प्रयोग कानून और अधिकार क्षेत्र के अनुसार किया गया था, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए।

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (1961 का 23) को पंजाब राज्य में कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और पूर्व प्रसंस्करण के बेहतर विनियमन और कृषि उपज के लिए बाजारों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए पारित किया गया था, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है। परिभाषा के तहत धारा 2 (बी) "बोर्ड" का अर्थ है धारा 3 के तहत गठित राज्य कृषि विपणन बोर्ड और "समिति" का अर्थ है धारा 11 और 12 के तहत स्थापित और गठित एक बाजार समिति। धारा 3 के तहत, राज्य सरकार को 15 सदस्यों वाले राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन करने का अधिकार है। यह

बोर्ड, जैसा कि उप-धारा (9) द्वारा उपबंधित है, समितियों पर अधीक्षण और नियंत्रण रखता है और बोर्ड का अध्यक्ष किसी समिति से कृषि उपज से संबंधित कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकता है।

(6) धारा 10 (2) के तहत बोर्ड का अध्यक्ष लाइसेंस रद्द या निलंबित या प्रदान कर सकता है। धारा टीओ की उपधारा (2) का परन्तुक किसी समिति के अध्यक्ष को, बोर्ड के अध्यक्ष को सूचित करते हुए, पंद्रह दिनों से अनधिक अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित करने में सक्षम बनाता है और ऐसा आदेश देने से पहले समिति के अध्यक्ष से यह अवसर देने की अपेक्षा की जाती है कि वह कारण बताए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। यह धारा 10 (2) प्रथम परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग था कि समिति के याचिकाकर्ता नंबर 1 अध्यक्ष ने अनुलग्नक 'बी' और 'सी' के अनुसार दो व्यक्तियों के लाइसेंस को 14 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया। धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन, व्यथित व्यक्ति को अपील करने का अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष को प्रदान किया जाता है, जहां अपील के अधीन आदेश समिति के अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाता है। इस मामले में 14 दिनों की अवधि के लिए निलंबन के आदेशों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित दो व्यक्तियों ने बोर्ड के अध्यक्ष को एक अपील दायर की, जो लंबित थी, जब रिट की याचिका दायर की गई थी।

(7) धारा 11 के तहत, राज्य सरकार के पास अधिसूचना द्वारा प्रत्येक अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए एक बाजार समिति स्थापित करने की शक्ति है।

(8) धारा 12 एक बाजार समिति के गठन से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कुछ सदस्यों को नामित किया जाना है और अन्य निर्वाचित किए जाते हैं। उपधारा (3) के उपबंध में यह विचार किया गया है कि राज्य सरकार अपने प्रस्ताव पर समिति में अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है और इस प्रकार की नियुक्तियों को अधिसूचित कर सकती है। उपधारा (4) में यह उपबंध है कि जहां पहली बार किसी समिति का गठन किया जाता है, वहां उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। धारा 17 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे सदस्य 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे, जैसा कि निर्धारित किया जाए। धारा 17 रिक्तियों को भरने से संबंधित है, जब कोई सदस्य मर जाता है, इस्तीफा दे देता है, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में स्थायी रूप से रहना बंद कर देता है या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(9) धारा 12 (4) और धारा 17 का संयुक्त प्रभाव यह है कि मनोनीत सदस्य अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करने के हकदार हैं। बाजार समिति, गन्नौर का गठन पहली बार किया गया था और इसलिए, इसके सभी सदस्यों को नामित किया गया था।

(10) धारा 13 समिति के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है और उप-धारा (3) के तहत यह दलालों, भारोत्तोलकों और कंपनी को लाइसेंस जारी कर सकती है और उन्हें नवीनीकृत, निलंबित या रद्द भी कर सकती है। धारा 15 राज्य को अधिसूचना द्वारा किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार देती है, जो अपनी राय में, कदाचार या कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी रहा है या योग्यता खो चुका है, उसे अपने प्रस्तावित निष्कासन के कारणों से अवगत कराने के बाद और उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद। अधिनियम की धारा 35 में समितियों के अधिक्रमण का प्रावधान है, यदि राज्य सरकार की राय में, यह अधिनियम द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या लगातार चूक करती है या इसकी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। एक प्रावधान है जिसमें राज्य की ओर से एक कर्तव्य की

आवश्यकता होती है कि वह समिति को पूर्वनिर्धारित अधिस्थगन के खिलाफ कारण दिखाने के लिए एक उचित अवसर दे। उप-धारा (2) में यह उपबंध है कि किसी समिति का स्थान लेने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर, सभी परिसंपत्तियां बोर्ड में निहित होंगी और यह राज्य सरकार के विवेकाधिकार में है कि वह समिति के कार्यों को पूरा करने के लिए धारा 12 के तहत या तो एक नई समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण का गठन करे। उपर्युक्त आदेश दिए जाने के बाद, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ बोर्ड में निहित हो जाती हैं। लेकिन जब एक नई समिति या प्राधिकरण का गठन किया जाता है, तो माना जाता है कि संपत्ति और देनदारियों को उस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी समिति की परिसंपत्तियां बोर्ड में निहित होती हैं और उसके स्थान पर कोई नई समिति या प्राधिकरण नियुक्त नहीं किया जाता है, तो बोर्ड धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी उद्देश्य के लिए समिति की मौजूदा कानूनी देनदारियों के निर्वहन के बाद शेष परिसंपत्तियों को नियोजित करेगा। "आपातकालीन शक्तियाँ" शीर्षक के तहत धारा 36 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः- धारा 36। "यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनों को उसके उपबंधों के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती हैः-(क) किसी समिति के कृत्यों का प्रयोग, ऐसी सीमा तक जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, बोर्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसे वह निर्देशित करे; या (ख) किसी समिति द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को अपने लिए ग्रहण करे; और ऐसी अधिसूचना में ऐसे आनुषंगिक और परिणामी उपबंध शामिल हो सकते हैं जो राज्य सरकार को अधिसूचना के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।

धारा 40 किसी समिति द्वारा धारा 13 के अधीन या अध्यक्ष द्वारा धारा 33 की उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध नियमों द्वारा विहित रीति से बोर्ड को अपील करने का उपबंध करती है। अधिनियम की धारा 43 के तहत, जो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962 बनाए गए हैं।

(11) पहली बार गठित समिति के मामले में, नियम 8 में यह उपबंध है कि नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के दोगुने के बराबर नामों का पैनल राज्य सरकार को भेजा जाएगा और धारा 12 (4) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारियों का निर्वाचन या नियुक्ति, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित नहीं की जाती या दो वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो। इस प्रकार नामित सदस्यों का कार्यकाल चुनाव तक या दो साल तक, जो भी पहले हो, तक रहता है। नियम 10 में यह प्रावधान है कि समिति का अध्यक्ष इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और सचिव के कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के बारे में बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजना उसका कर्तव्य होगा। नियम 40, जो महत्वपूर्ण है, धारा 10 (4) की धारा 29 (3) और धारा 40 के तहत अपीलों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है और उन्हें एक रुपये का न्यायालय शुल्क स्टाम्प देना होता है। उन्हें अपीलार्थी या उसके विधिवत अधिकृत अभिकर्ता द्वारा एक ज्ञापन के रूप में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। एक सीमा अवधि प्रदान की गई है और यह आवश्यक है कि संबंधित पक्षों को नोटिस देने और सुनने के बाद अपील पर निर्णय लिया जाए। अपील पर निर्णय की एक प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को निःशुल्क प्रदान की जानी है, और निर्दिष्ट भुगतान पर अपीलार्थी को मांग करने पर। अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन इंगित करता है कि पैटर्न न्यायिक या अर्ध-न्यायिक अपीलीय

प्राधिकरण के मामले में समान है। इस मामले में, यह पहले ही कहा जा चुका है कि दो लाइसेंस धारकों को निलंबित करने के अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ उनके द्वारा बोर्ड में अपील की गई थी। यह अपील एक अर्ध-न्यायिक चरित्र का हिस्सा बन गई।

(12) मुख्य तर्कों पर विचार करने से पहले, पैरा 13 (iii) में आग्रह किए गए एक छोटे मामले का निपटारा किया जा सकता है। धारा 36 के तहत कार्रवाई करने के लिए राज्य द्वारा दिया गया कारण यह था कि बोर्ड को विभाजन के बाद दोनों राज्यों के लिए संयुक्त रखा गया था और धारा 35 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि उस स्थिति में समिति की संपत्ति राज्य कृषि विपणन बोर्ड में निहित होती और इससे बोर्ड के विभाजन में और जटिलता पैदा होती। उपरोक्त कारण गलत प्रतीत होता है। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, धारा के तहत बोर्ड में निहित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को नए समिति या अन्य प्राधिकरण में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा जैसे ही ऐसा निकाय गठित किया जाता है।

इस तर्क में कोई बल नहीं है कि ऐसी संपत्तियां दोनों राज्यों के संयुक्त बोर्ड में निहित होंगी। यदि सरकार ने धारा 35 के तहत कार्रवाई करने का विकल्प चुना होता, तो उसे लिखित बयान के पैरा 13 (iii) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी घटना का सामना नहीं करना पड़ता।

(13) समिति के अध्यक्ष का आदेश जिससे नियम 40 के तहत अपील प्रदान की जाती है, अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस आदेश की अपील तब लंबित थी जब राज्य सरकार द्वारा धारा 36 का सहारा लिया गया था। अब यह आग्रह किया गया है कि बोर्ड ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी है। यह दो लाइसेंस धारकों के आचरण की अनुचितता के बारे में अध्यक्ष के निष्कर्ष से सहमत है, जिन्हें 14 दिनों के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन निलंबन की अवधि को घटाकर तीन दिन कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, बोर्ड ने यह नहीं माना है कि अध्यक्ष के निलंबन का आदेश अनुचित था। यह भी आग्रह किया गया कि नीलामीकर्ता मंगई सैन के निलंबन के संबंध में कथित अनुचितता को कथित रूप से कमजोर होने के आधार पर अपील में लिया जा सकता था। इसी तरह, पर्यवेक्षक के रूप में श्री नफे सिंह की नियुक्ति, यदि यह नियमों के खिलाफ थी, तो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियम 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी इसका खंडन किया जा सकता था। अध्यक्ष के खिलाफ तीन आरोप या तो अपील योग्य थे या बोर्ड के प्राधिकरण द्वारा समीक्षा योग्य थे।

(14) अब मैं याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क की ओर रुख कर सकता हूं, कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए, धारा 36 विशेष रूप से अधिनियम की धारा 15 या धारा 35 के तहत उपलब्ध कार्रवाई के मद्देनजर कोई प्रयोज्यता नहीं है। जो कार्रवाई की गई है, उसका आधार उपमंत्री की 1 सितंबर, 1967 की रिपोर्ट 'प्रदर्शनी आर 1' थी, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ तीन आरोप साबित पाए हैं। चूंकि किसी अन्य आधार पर आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि कोई अन्य कारण नहीं थे जिसके कारण विवादित कार्रवाई की गई। अध्यक्ष के खिलाफ आरोप होने के कारण, राज्य सरकार को धारा 15 के तहत उन्हें हटाने का अधिकार था। आरोप, यदि सही हैं, तो उनके कदाचार की ओर इशारा करते हैं और उन्हें हटाने या अन्य सदस्यों को हटाने के लिए उचित प्रावधान धारा 15 थी। लेकिन, इससे पहले कि राज्य सरकार इस धारा के तहत किसी सदस्य को हटाने को अधिसूचित कर सके, संबंधित सदस्य को उसके प्रस्तावित हटाने के कारणों से अवगत कराना उसका

दायित्व है और उसे लिखित में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए। धारा 15 किसी भी सदस्य को हटाने के लिए लागू होती है, एक या अधिक या यहां तक कि सभी यदि वे कदाचार के दोषी थे। एकमात्र शर्त थी कारणों का संचार करना और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने का अवसर देना। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि धारा 15 के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि राज्य सरकार परन्तुक की आवश्यकताओं का पालन नहीं करना चाहती थी जो प्राकृतिक न्याय के नियम की आवश्यकताओं के अनुसार हैं। न तो कारण बताए गए और न ही लिखित में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया।

(15) तब यह तर्क दिया जाता है कि यदि राज्य सरकार का विचार था कि कोई समिति निष्पादन करने में अक्षम थी, या लगातार अपने कर्तव्यों का पालन करने में चूक करती थी, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती थी, तो इसे हटा दिया जा सकता था। उपमंत्री द्वारा अपनी रिपोर्ट (प्रदर्शनी आर-एल) में बनाए गए निष्कर्ष के अनुसार बाजार समिति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और अपने कामकाज में अक्षम थी। उन्होंने यह भी सोचा कि यह ठीक से काम करने में अक्षम था और उन्होंने धारा 35 के तहत नहीं बल्कि धारा 36 के तहत इसके अधिक्रमण की सिफारिश की थी। अधिनियम में एकमात्र प्रावधान जो "समितियों के पर्यवेक्षण" से संबंधित है, वह धारा 35 है। एकमात्र पूर्व शर्त यह थी कि समिति का स्थान लेने वाली अधिसूचना जारी करने से पहले, राज्य सरकार कानून के तहत प्रस्तावित स्थानांतर के खिलाफ कारण दिखाने के लिए समिति को एक उचित अवसर देने के लिए बाध्य थी, और इसके अलावा, उसे समिति के स्पष्टीकरण और आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करना था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जैसा कि धारा 35 (1) के परन्तुक द्वारा विचार किया गया था। रिपोर्ट का विषय स्पष्ट रूप से धारा 35 (1) के दायरे में आता है और फिर भी उप मंत्री द्वारा सिफारिश की गई थी और राज्य सरकार द्वारा धारा 36 के तहत कार्रवाई की गई थी जो समितियों के अधिक्रमण या धारा 35 में उल्लिखित आधारों का उल्लेख नहीं करती है(1). याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि धारा 15 जैसे इस प्रावधान को उचित अवसर देने और स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर विचार करने की शर्त के अनुपालन से बचने के लिए दरकिनार कर दिया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के शासन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। प्राकृतिक न्याय के शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धारा 15 और 35 को टाला गया था, जो इस मामले में वैधानिक भी थे। इसलिए, धारा 15 और 35 के तहत अनिवार्य आवश्यकताएं। इस विवाद में बल है। प्रत्यर्थियों की ओर से 1-3 फाइल किए गए लिखित कथन के पैरा 13 मेंयह कहा गया था कि स्वाभाविक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पूर्णतया पालन किया गया था क्योंकि उपमंत्री द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कीगई जांच में उन्हें अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अवसर दिया गया था। उपमंत्री की रिपोर्ट में बस इतना ही कहा गया है कि अध्यक्ष जांच के दौरान मौजूद थे। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति एक ऐसा अवसर था जब वह उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे, जो पर्याप्त नहीं था। निष्पक्षता के नियम का अनुपालन करने के लिए और धारा 15 और धारा 35 के परन्तुक की अपेक्षाओं के साथ, प्रस्तावित निष्कासन के कारणों को सूचित किया जाना है और लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने का अवसर भी दिया जाना है। जाँच के साथ अध्यक्ष की मात्र उपस्थिति या जुड़ाव प्रस्तावित अधिस्थगन के खिलाफ कारण दिखाने के लिए समिति को अवसर देने के समान नहीं था। यह उचित भी नहीं था। मैं प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के शासन की आवश्यकताओं, या धारा 15 और 35 के संबंधित प्रावधानों का पालन किया गया था। यहां तक कि अगर यह माना जाए कि अध्यक्ष की उपस्थिति या संगठन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं का

अनुपालन था, तो भी यह अन्य याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होगा, जिनके संबंध में यह उत्तरदाताओं की ओर से दावा नहीं किया गया है, कि वे या तो उपस्थित थे या जांच से जुड़े थे, या किसी भी कार्रवाई की व्याख्या करने का अवसर दिया गया था जिसे उनके खिलाफ प्रस्तावित कहा जा सकता था। अध्यक्ष के अलावा समिति के अन्य सदस्यों को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था और नियम का पालन करने के प्रयास की झलक भी नहीं थी। यदि अवसर देने के बाद धारा 35 के तहत कार्रवाई की गई होती, तो उत्तरदाता 1 से 3 के लिखित बयान के पैरा 13 (iii) में उल्लिखित प्रकार की कोई जटिलता नहीं होती। इस विशेषता पर पहले ही टिप्पणी की जा चुकी है।

(16)अब धारा 36 का विश्लेषण किया जा सकता है। इसका शीर्षक "आपातकालीन शक्तियाँ" है, जिसका अर्थ है कि प्रावधानों को एक सामान्य मामले में नहीं बल्कि केवल आपातकाल होने पर लागू किया जाना चाहिए। आपातकाल का मामला तब होता है जब अचानक या अप्रत्याशित घटना, एक अप्रत्याशित घटना या स्थिति होती है। 'आपातकाल' शब्द आसानी से एक सटीक परिभाषा को स्वीकार नहीं करता है जो गणनात्मक हो सकती है। "आपातकालीन" शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब तत्काल कार्रवाई के लिए परिस्थितियों का एक अप्रत्याशित संयोजन होता है। वेबस्टर के अनुसार, आपातकाल "परिस्थितियों का एक अप्रत्याशित संयोजन या परिणामी स्थिति है जो तत्काल कार्रवाई की मांग करती है"। इसका उपयोग परेशान करने वाली घटना या स्थिति के अर्थ में भी किया जाता है जिसका अक्सर अनुमान लगाया जा सकता है या इसके लिए तैयार किया जा सकता है लेकिन शायद ही कभी ठीक से अनुमान लगाया जा सकता है।

शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'आपातकाल' अचानक या अप्रत्याशित घटना है जो एक मोड़ पर अचानक उत्पन्न होती है या अचानक उत्पन्न होती है। राज्य सरकार की अधिसूचना (अनुलग्नक 'डी') में आपातकाल की प्रकृति का कोई संकेत नहीं है, जिसमें आपातकालीन शक्तियों के आह्वान का आह्वान किया गया है। उस अधिसूचना में, वास्तव में, किसी भी आपातकाल के उत्पन्न होने या आपातकाल के कारण प्रयोग की जा रही शक्तियों का कोई संदर्भ नहीं है।

(17) धारा 36 की एक अन्य विशेषता यह है कि यह समिति के किसी सदस्य के व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी कदाचार या कानूनी या शून्य कार्य को संदर्भित नहीं करती है। यह खंड केवल उत्पन्न हुई स्थिति को संदर्भित करता है। समिति के सदस्यों के अनुचित आचरण के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसके लिए समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी से भारित नहीं किया जा सकता है। 'स्थिति' शब्द किसी दिए गए क्षण में सापेक्ष स्थिति या परिस्थितियों के संयोजन को दर्शाता है। इस शब्द का उपयोग आलोचनात्मक, कोशिश करने या असामान्य स्थिति के अर्थ में भी किया जाता है। इस शब्द का उपयोग परिस्थितियों के संयोजन या संयोजन के अर्थ में भी किया जाता है। यदि कोई गतिरोध या गतिरोध है तो समिति काम नहीं कर सकती है। यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब समिति के सदस्य काम करने से इनकार कर देते हैं या काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, चाहे वे अपनी इच्छा के परिणामस्वरूप हों या अपनी इच्छा के बावजूद, जैसे कि वे सभी एक दुर्घटना में शामिल हों। ऐसे मामले में, यह कहा जा सकता है कि अनुभाग के विचार के भीतर स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति भी पैदा होगी जहां सभी सदस्यों को इस्तीफा देना होगा। इस प्रकार समिति का कार्यकरण असंभव हो गया। कहा जाता है कि इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति

उत्पन्न हुई होगी। बहुवचन में "उद्देश्य" शब्द का उपयोग महत्वहीन नहीं है और यदि किसी एक उद्देश्य को अस्थायी रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है तो आपातकाल उत्पन्न होने के बारे में नहीं कहा जा सकता है। जब तक एक बाजार समिति कार्य कर रही है, तब तक धारा 36 के प्रावधानों को इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है कि यह सही ढंग से नहीं, बल्कि गलत तरीके से कार्य कर रही है। यदि समिति अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम थी या लगातार चूक करती रही, तो धारा 35 का सहारा लेना उचित उपाय होगा। इस अधिनियम को कई उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था। यदि इस मामले में, दो लाइसेंस धारकों को एक पखवाड़े के लिए निलंबित कर दिया गया था, या एक नीलामीकर्ता को तुच्छ आधार पर निलंबित कर दिया गया था, या एक पर्यवेक्षक को गलत तरीके से नियुक्त किया गया था, या उसकी नियुक्ति में पक्षपात ने एक भूमिका निभाई थी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। 'कैन' शब्द उस उद्देश्य को पूरा करने की शक्तियों या क्षमता को इंगित करता है, जो दर्शाता है कि ऐसा करना असंभव है और यह नहीं कि समिति ऐसा नहीं करेगी। उपमंत्री ने अपनी रिपोर्ट में जो तीन आरोप साबित किए, वे अधिनियम के उद्देश्यों के न तो सूचक हैं और न ही संपूर्ण हैं। सभापति ने जो किया, वह यह था कि उन्होंने अधिनियम के तहत उन्हें दी गई शक्ति का प्रयोग किया, और अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। लाइसेंस धारकों के लाइसेंस को निलंबित करना अधिनियम द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है और इसका प्रयोग अधिनियम का एक उद्देश्य हो सकता है। यदि शक्ति का गलत उपयोग किया जाता है, तो अधिनियम में गलत को सुधारने के लिए, या गलत के लिए जिम्मेदार सदस्य या पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अन्य प्रावधान हैं।

(18) जिन कारणों से राज्य ने धारा 36 के तहत कार्रवाई की है, उनका खुलासा उप मंत्री प्रदर्शनी आर-1 की रिपोर्ट में किया गया है। उनके अनुसार, चार में से तीन आरोपों की पुष्टि की गई थी और उन्होंने सोचा कि यह स्पष्ट था कि बाजार समिति, गन्नौर ने "अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और अपने काम में अक्षम रहा है।" रिपोर्ट में किसी ऐसे कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे अक्षमता या अक्षमता का अनुमान लगाया गया हो। यह मानते हुए कि ये विशेषताएं थीं, वे अधिनियम की धारा 15 और 35 द्वारा कवर की गई हैं जिसके तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है। अंत में, उप मंत्री ने अधिनियम की धारा 36 के तहत समिति के "अधिक्रमण" के लिए सिफारिश की है। "समितियों का अधिक्रमण" धारा 35 के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन धारा 36 के तहत नहीं जो "आपातकालीन शक्तियों" को संदर्भित करता है। यदि उपमंत्री ने धारा 35 के तहत अधिक्रमण की सिफारिश की होती, तो वह सिफारिश परिसर में तार्किक होती। यह कहना मुश्किल है कि क्या उप मंत्री वास्तव में धारा 35 के बारे में सोच रहे थे और अनजाने में धारा 36 लिख चुके थे। ऐसा संभव लग रहा है। यह मानते हुए कि उसने जानबूझकर धारा 36 के बारे में सोचा था. जब वह गलत धारा के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर रहा था और धारा 35 के विशिष्ट प्रावधानों की अनदेखी कर रहा था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने पूरन सिंह बनाम पुनियाब राज्य और अन्य (1) को एक उदाहरण के रूप में संदर्भित किया है, जो धारा 36 के उचित आह्वान का उदाहरण है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें बाजार समिति, कैथल से संबंधित चुनाव कार्यक्रम था। अलग कर दिया गया था। इसका मतलब था कि नए चुनाव होने तक कोई बाजार समिति अस्तित्व में नहीं थी। अगला सवाल है। क्या पूरे बाजार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी भी कारण का कोई संकेत है

(1) टी एल आर (1966) 1 पंजाब 751 = 1966 पी एल आर 25।

समिति, 4 से 25 प्रत्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायत में, आरोप अध्यक्ष के खिलाफ हैं और बाजार समिति के किसी भी सदस्य या सदस्य के खिलाफ कुछ भी विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। इस शिकायत पर उपमंत्री की रिपोर्ट में सभापति के अलावा आठ याचिकाकर्ताओं में से किसी एक की ओर से कदाचार के किसी विशिष्ट कार्य का उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया कि उनका कार्य, जो दो लाइसेंस धारकों के एक पखवाड़े के लिए निलंबन से संबंधित पहले आरोप का विषय था, संबंधित व्यक्तियों द्वारा बोर्ड में अपील का विषय था। इस अपील में निर्णय 9 अक्टूबर, 1967 को लिया गया था। बोर्ड ने अध्यक्ष के कार्य को बरकरार रखा है जहाँ तक दो लाइसेंस धारकों के अपराध का सवाल उठाया गया था। अंतर केवल इतना है कि निलंबन की अवधि कम कर दी गई थी। इस प्रकार, उन लोगों द्वारा चूक किए जाने के बारे में कोई मतभेद नहीं था, जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन केवल उनके अपराध की गंभीरता के बारे में। उपमंत्री ने दिनांक 1 सितंबर, 1967 (अनुलग्नक आर-एल) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय याचिकाकर्ता संख्या 1 के आक्षेपित आदेश से अपील पर बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि पहले आरोप पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आगे बढ़े। बोर्ड की अपीलीय शक्तियां वैधानिक हैं, जबकि उप मंत्री द्वारा जांच और रिपोर्ट प्रशासनिक थी। इस मामले में, बोर्ड द्वारा अपनी अपीलीय शक्तियों के निर्वहन में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई पर हावी होने का हकदार था। अधिनियम की धारा 10 सुसंगत उपबंध है और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग किया गया है जिसमें प्रथम उल्लंघन के लिए पांच माह से अनधिक अवधि के लिए और दूसरे उल्लंघन के बाद नौ मास से अनधिक अवधि के लिए और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित करने का अधिकार शामिल है। उप-धारा का पहला परंतुक समिति के अध्यक्ष की पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित करने की शक्तियों को संदर्भित करता है। उप-धारा (4) के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति इसके बनने के एक महीने के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है। सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश का इंतजार नहीं किया है। पीड़ित पक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश को राज्य सरकार के समक्ष चुनौती दे सकता है। इस मामले में राज्य सरकार ने वैधानिक प्रावधान को दरकिनार कर दिया है।

(19) अगला प्रश्न यह है कि धारा 36 के अधीन राज्य सरकार की आपात शक्तियां केवल तभी उत्पन्न हो सकती हैं जब राज्य सरकार संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अधिनियम के प्रयोजनों को उसके उपबंधों के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता है। क्या इस मामले में यह कहा जा सकता है कि अध्यक्ष द्वारा दो लाइसेंस धारकों को पंद्रह दिनों की अवधि के लिए निलंबित करने के अधिनियम द्वारा, इस

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है, जब कि बड़ी संख्या में लाइसेंस धारक हैं? हालांकि, समिति के अध्यक्ष का आदेश अंतिम नहीं था जो पहले बोर्ड के अध्यक्ष और फिर राज्य सरकार के समक्ष अपील योग्य था। इसी प्रकार, क्या यह कहा जा सकता है कि नीलामीकर्ता को संभवतः तुच्छ आधारों पर निलंबित करने का कार्य इतना गंभीर था कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्यों के प्रभाव के रास्ते में खड़ा था? एक बार फिर, पर्यवेक्षक की नियुक्ति, यह मानते हुए कि यह नियमों के खिलाफ है, धारा 36 के तहत कार्रवाई करने का कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी। यह प्रावधान पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए है, जब अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह अध्यक्ष के कदाचार या समिति के सदस्यों के कुकर्मों से संबंधित नहीं है। समिति की किसी भी चूक का कोई सबूत नहीं है, और उन आरोपों में कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिनकी उप मंत्री द्वारा जांच की गई थी। इस धारणा पर कि समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के याचिकाकर्ताओं का कार्य ऐसा था जिसने उस आशय की अधिसूचना जारी करने से पहले उनके निलंबन को उचित ठहराया था, राज्य सरकार प्रस्तावित अधिस्थगन के खिलाफ कारण दिखाने के लिए समिति को एक उचित अवसर देने के लिए बाध्य थी। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि समिति "इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उस पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम थी या लगातार चूक कर रही थी, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी।" यह कल्पना की जा सकती है कि यह महसूस करने पर कि वे शर्तें, जिनके अधीन धारा 36 का सहारा लिया जा सकता था, मौजूद नहीं थीं, उस धारा के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। क्या तब यह किसी भी स्थिरता के साथ तर्क दिया जा सकता है कि धारा 36 के तहत कार्रवाई उचित थी, भले ही समिति न तो प्रदर्शन करने में अक्षम थी, न ही अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार चूक की थी या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। समितियों के अधिक्रमण के मामलों में, धारा 35 के प्रावधान संपूर्ण हैं। अधिनियम के निर्माताओं द्वारा समितियों के अधिक्रमण के लिए किसी अन्य विचार पर विचार नहीं किया गया है। धारा 35 और 36 के प्रावधान प्रतिस्थापन नहीं हैं। अनुलग्नक आर-एल में आरोपों का सार समिति के अध्यक्ष, याचिकाकर्ता संख्या 1 का आक्षेपित आचरण है। यदि राज्य सरकार की राय थी कि वह कदाचार या कर्तव्य की उपेक्षा के दोषी थे, तो उन्हें उनके प्रस्तावित निष्कासन के कारणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता था, और उन्हें लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद, उन्हें हटाने को अधिसूचित किया जा सकता था। उपमंत्री द्वारा की गई जाँच के दौरान उन्हें संबद्ध करना धारा 15 की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन नहीं था। समिति के सभी सदस्यों के खिलाफ किसी भी शिकायत का कोई सुझाव नहीं है और यह केवल अध्यक्ष तक ही सीमित है। यदि सरकार का अन्य सदस्यों को भी हटाने का इरादा था, तो धारा 15 की अपेक्षाओं को पूरा करना था और उस प्रावधान के तहत कार्रवाई की जानी थी। समान कारणों से, जैसा कि धारा 35 से संबंधित है, धारा 36 धारा 15 का विकल्प नहीं है और धारा 15 के विचार के भीतर किए गए कदाचार, यदि कोई हो, के लिए धारा 36 के तहत कार्रवाई उचित नहीं थी क्योंकि यह पूरी तरह से अलग आकस्मिकता या आकस्मिकता को संदर्भित करता है। इस तर्क का कोई समर्थन नहीं है कि धारा 36 के तहत, राज्य सरकार ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई कर सकती है जो धारा 15 और 35 के अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है कि यह क़ानून का इरादा नहीं है। जिन आकस्मिकताओं के तहत किसी विशेष धारा के प्रावधानों को लागू किया जाना है, वे विशिष्ट और अलग हैं, और इनका ओवरलैप करने का इरादा नहीं था।

(20) इस स्तर पर, मैं उन रिपोर्ट किए गए निर्णयों का उल्लेख कर सकता हूं जिन पर विद्वान वकील द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। 'आपातकाल' शब्द की व्याख्या डी एस राय बनाम सम्राट में की गई थी। (2). और यह देखा गया कि परिस्थितियों का अप्रत्याशित संयोजन एक बार में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे हो सकता है। जब चरम बिंदु पर पहुँच जाता है, तो तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। जैसा कि पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस निर्णय में जिस आपातकाल की कल्पना की गई थी, वह हुआ था, और जब राज्य ने धारा 36 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया था, तो पक्षकारों के मामले में ऐसा कभी नहीं था।

(21) अगला प्रश्न उस दायरे से संबंधित है जिसके भीतर उच्च न्यायालय उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जो राज्य सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करते हैं। लेटर पेटेंट अपील पर पंजाब राज्य बनाम सुगना राम (3) मामले में इस अदालत के एक खंड पीठ के फैसले का हवाला दिया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 16 (1) (ई) के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दो मामलों की जांच करने के लिए इस अदालत द्वारा जांच के अधीन थे, पहला, क्या हटाने के आधार सदस्य के आचरण के लिए बाहरी नहीं हैं और दूसरा, यदि आधार बाहरी नहीं हैं, तो यह देखना कि सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य की अवहेलना में किया गया कार्य या कार्य ऐसे हैं, जो उचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

12) ए टी आर 1930 लाहौर 781 (3) 1964 पी एल आर 828

दिमाग। इस दृष्टिकोण के लिए एक पर्याप्त प्राधिकरण है कि किसी स्थानीय निकाय के सदस्य को हटाने के लिए आधार या तो सामान्य होना चाहिए या विशिष्ट प्रावधानों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, और जहां तथ्य पूरी तरह से बाहरी हैं या कानून के प्रावधानों के लिए प्रासंगिक या प्रासंगिक नहीं हैं, जिसके तहत कार्रवाई की जाती है, तो सरकार का आदेश निरस्त होने के लिए उत्तरदायी है। सत्य देव बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (4) और भगत राम पतंग बनाम पंजाब राज्य का संदर्भ दिया जा सकता है। (5).

(22)नगरपालिका समिति, खरार, जिला अंबाला बनाम पंजाब राज्य और अन्य (6) में पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 238 का परीक्षण किया गया था। यह धारा अक्षमता, लगातार चूक या शक्तियों के दुरुपयोग के मामले में एक समिति को प्रतिस्थापित करने की प्रांतीय सरकार की शक्ति से संबंधित है। इस धारा में प्रावधान किया गया था कि इस तरह के निष्कासन के कारणों को अधिसूचना में यह घोषणा करते हुए बताया जाना था कि समिति को हटा दिया गया था। ये प्रावधान पंजाब कृषि उपज बाजार

अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अनुरूप हैं। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन कारणों पर विचार करने के कारण और निष्कर्ष दो अलग-अलग मामले थे। अधिनियम की धारा 238 के अधीन नगरपालिका का स्थान लेने के लिए आवश्यक निष्कर्ष को दोहराने की तुलना संभवतः ऐसे निर्णय को प्रेरित करने वाले कारणों से नहीं की जा सकती है। अधिसूचना में धारा के शब्दों की केवल नकल करना केवल सरकार के निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बराबर है और सरकार को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने वाले कारणों को अधिसूचित करने की वैधानिक आवश्यकता के लिए कोई विकल्प नहीं है। अधिसूचना को वैध होने के लिए तदनुसार सभी आवश्यक तथ्यों को सटीक रूप से निर्धारित करना चाहिए और अधिसूचना बोलने वाली होनी चाहिए। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करे, जबकि उसके सामने रखी गई कुछ आपत्तिजनक सामग्री पर एक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर आती है, जो एक नगरपालिका के अधिक्रमण को उचित ठहराती है। इस मामले में अंतर का एकमात्र बिंदु यह है कि धारा 36 के तहत, अवसर देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यह प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(23)मेरा ध्यान पी. जे. ईरानी बनाम मद्रास राज्य और एक अन्य (7) की ओर आकर्षित किया गया जो मद्रास भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम से उत्पन्न एक मामला था। (25 of 1949). उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जहां सरकार का एक व्यक्तिगत आदेश

(5) 1963 का सी डब्ल्यू 22 18 सितंबर, 1963 को तय किया गया।

(6) ए आई आर 1967 पंजाब 430।

(7) ए आई आर 1961 एस सी 1731।

कुछ परिसरों को उन कारणों से छूट दी गई थी जो उस उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते थे जिसके लिए अधिनियम की धारा 13 द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी, यह आदेश स्वयं परिसर पर कब्जा करने वाले किरायेदार के लिए कानून के समान संरक्षण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में भेदभावपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में, इस तरह के आदेश को दरकिनार करने के लिए अनुच्छेद 226 उपलब्ध होगा। उस मामले में, राज्य की ओर से एक बिंदु का आग्रह किया गया था, कि छूट देने वाला आदेश एक कार्यकारी या एक प्रशासनिक आदेश था जिसे प्रमाणपत्र के रिट के जारी होने से रद्द करने के लिए संशोधन योग्य नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने उस आपत्ति को बिना किसी सार के पाया जहां छूट का

आदेश उन कारणों से पारित किया गया था जो उस उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते थे जिसके लिए उस अधिनियम की धारा 13 द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी। यह देखा गयाः -

इसके अलावा, भले ही आदेश (भारत के संविधान के) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता था, फिर भी यदि उच्च न्यायालय का विचार था कि यह अधिनियम की धारा 13 द्वारा सरकार को प्रदान की गई शक्तियों से परे था, तो हम इस तर्क में कोई सार नहीं देखते हैं कि अदालत के पास अनुच्छेद 226 के तहत एक अधिकार से परे आदेश को दरकिनार करने की शक्ति नहीं है जो बेदखली के खिलाफ किसी व्यक्ति के वैधानिक संरक्षण के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि अदालतों द्वारा हस्तक्षेप से प्रतिरक्षा की मांग उन आदेशों के लिए की जा सकती है जो स्पष्ट रूप से अधिकार से बाहर हैं क्योंकि वे अप्रत्यक्ष उद्देश्य के बिना होने के अर्थ में प्रामाणिक रूप से पारित किए गए थे।

(24)इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि सरकार का इरादा बाजार समिति का स्थान लेना था क्योंकि उसने सोचा था कि उसने ऐसे कार्य किए हैं जो पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 35 की शरारत के दायरे में आते हैं। वह प्रावधान और धारा 15 भी प्राकृतिक न्याय के नियम, सदस्यों के खिलाफ आरोपों का सामना करने और उन्हें उनसे मिलने का एक प्रभावी अवसर देने का प्रतीक है। समिति के सदस्यों को इन अधिकारों को देने से बचने के लिए, धारा 36 का सहारा लेना पड़ा। यह पहले ही माना जा चुका है कि धारा 36 की प्रयोज्यता के लिए विचार स्पष्ट हैं और वास्तव में इस मामले में मौजूद नहीं हैं। यह उपमंत्री की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है (R-1). इस मामले के सिद्ध और स्वीकृत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर धारा 36 के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं था। इन प्रावधानों का सहारा लेना धारा 35 के प्रावधानों के अनुपालन से बचने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ रंगीन था, जिसके लिए समिति को उचित अवसर देने या प्रस्तावित अधिस्थगन के खिलाफ कारण दिखाने की आवश्यकता थी। बिना किसी सूचना के, जांच की किसी भी अग्रिम जानकारी के बिना और उन्हें लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना समिति का स्थगन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। इस मामले में जो हुआ वह यह था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रत्यक्ष आधार वे थे जो धारा 35 में पाए जाने थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं को धारा 35 में निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों से वंचित करने के लिए धारा 36 का सहारा लिया गया था।

(25) राज्य की ओर से कोई गंभीर तर्क नहीं दिया गया था कि उप मंत्री (आर-1) की रिपोर्ट धारा 35 की आवश्यकताओं के आधार पर थी। यह सुझाव देने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि कोई आपातकाल अस्तित्व में आया था और धारा 36 के तहत प्रयोग की गई शक्तियां ऐसी आपातकाल के परिणामस्वरूप थीं। अधिनियम के उन उद्देश्यों का कोई संदर्भ नहीं था जिन्हें उसके प्रावधानों के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता था। इन परिस्थितियों में, धारा 36 की प्रयोज्यता को न्यायोचित ठहराने का कोई प्रयास नहीं किया गया क्योंकि उस उपबंध को न्यायोचित ठहराने वाली शर्तों की झलक भी नहीं थी। राडेश्यम खरे में एक निर्णय पर प्रत्यर्थी राज्य की ओर से रिलायंस को रखा गया था और एक अन्य v. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (8) इस प्रस्ताव के लिए कि प्रमाणपत्र का एक रिट एक वैधानिक निकाय की त्रुटियों को ठीक करने के लिए झूठ नहीं होगा जिसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्यों के साथ सौंपा गया था। यह सी पी और बरार नगरपालिका अधिनियम, 1922 के तहत एक मामला था। धारा 53-क (1) राज्य सरकार

को अधिकार देती है, यदि वह यह पाती है कि कोई नगरपालिका समिति उस पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं थी या यह मानती है कि नगरपालिका के प्रशासन में एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से सामान्य सुधार होने की संभावना है, तो राज्य सरकार कारणों को बताते हुए एक आदेश द्वारा समिति के एक कार्यकारी अधिकारी को 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है। कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर, राज्य सरकार को समय-समय पर यह निर्धारित करना था कि नगरपालिका समिति द्वारा उन शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त या उनके अपवर्जन के अतिरिक्त समिति की कौन सी शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का उसके द्वारा प्रयोग और निष्पादन किया जाना था। उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में धारा 53-क के शब्दों में यह स्पष्ट किया गया था कि कार्रवाई अस्थायी अवधि के लिए प्रभावी होगी। अधिनियम का एक अन्य प्रावधान जो विचार के लिए आया वह धारा 57 थी जो पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा 35 के समान है। 1961 में। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई समिति प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थी या लगातार चूक कर रही थी

(8) ए आई आर 1959 एस सी 107।

कर्तव्यों का पालन करना या अपनी शक्तियों का गंभीर सीमा तक दुरुपयोग करना, राज्य सरकार ऐसी समिति को भंग करने के कारणों को बताते हुए एक आदेश द्वारा आदेश दे सकती है और एक नए चुनाव का आदेश दे सकती है। चूँकि इस आदेश का प्रभाव अत्यंत कठोर था और समिति के अस्तित्व को ही समाप्त किया जा सकता था, इसलिए विधायिका ने समिति को कुछ संरक्षण दिया और तदनुसार उसने उपधारा 5 द्वारा यह प्रावधान किया कि जब तक समिति को स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उस प्रावधान में जो कठोर था, एक सुरक्षा प्रदान की गई थी, हालांकि धारा 53-ए में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी क्योंकि वह आदेश एक अस्थायी अवधि का था और समिति के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता था। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने के बाद धारा 53-ए को असंवैधानिक नहीं माना। उस मामले में, धारा 53-ए के कठोर नहीं होने को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना गया था। नगरपालिका समिति को न तो हटा दिया गया था और न ही भंग कर दिया गया था, बल्कि केवल इसकी कुछ शक्तियों को छीन लिया गया था और कार्यकारी अधिकारी को प्रदान किया गया था जिसका कार्यकाल 18 महीने से अधिक नहीं रह सकता था। सी पी और बरार नगरपालिका अधिनियम की धारा 53-ए के प्रावधानों की तुलना पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा 36 से नहीं की जा सकती है,

जो अत्यंत कठोर है क्योंकि यह सरकार को किसी भी अवधि के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की असीमित शक्ति प्रदान करता है।

(26) क्योंकि राधेश्याम खरे के मामले के तथ्यों को अलग किया जा सकता था, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए उच्चतम न्यायालय के तर्क का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस मामले में दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि राज्य सरकार का विवादित अधिसूचना के माध्यम से बाजार समिति को समाप्त करने का आदेश स्थायी नहीं है और परिस्थितियों में अधिकार क्षेत्र के बिना और उन आधारों पर पारित किया गया था जो मौजूद नहीं थे। इसलिए, मैं अधिसूचना संख्या 8560-ए जी आर II (IX)-67/23338, दिनांक 14 सितंबर, 1967 (अनुलग्नक डी) में निहित हरियाणा सरकार के विवादित आदेश को रद्द कर दूंगा और तदनुसार आदेश दूंगा। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

(27)मैं उल्लेख कर सकता हूं कि वैकल्पिक में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि किसी भी मामले में धारा 36 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली है, जिसे निरस्त किया जा सकता है। मैंने इस मुद्दे पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं समझी है।

के. जे.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा